

इसे बेवसाईट [www.govtpress.mp.gov.in](http://www.govtpress.mp.gov.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 353]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2025—अग्रहायण 27, शक 1947

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्र. 12295—216—इक्कीस—अ (प्रा.)— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17 दिसम्बर 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०२५

### मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०२५

[दिनांक १७ दिसम्बर, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ दिसम्बर, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राथिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०२५ है.

संक्षिप्त नाम.

वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिए राज्य की संचित निधि में से रुपये १,३४,७६,६४,८३,५८५ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये तेरह हजार चार सौ छिहत्तर करोड़ चौरानवे लाख तिरासी हजार पांच सौ पचासी होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में, अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

### अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

| (१)<br>अनुदान का<br>संख्यांक | (२)<br>सेवाएं और प्रयोजन                          | (३)<br>निम्नलिखित से अनधिक राशियां |                             |              |
|------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                              |   | विधान सभा द्वारा मतदत्त<br>रुपये   | संचित निधि पर भारत<br>रुपये | योग<br>रुपये |
|                              | भारत विनियोग-ब्याज की<br>अदायगी और ऋण सेवा.       |                                    |                             |              |
|                              |   | राजस्व                             | ०                           | २,०००        |
|                              |   |                                    |                             | २,०००        |
|                              | भारत विनियोग-लोक ऋण                               |                                    |                             |              |
|                              |   | पूंजी                              | ०                           | २००          |
|                              |   |                                    |                             | २००          |
| ००१.                         | सामान्य प्रशासन                                   |                                    |                             |              |
|                              |   | राजस्व                             | २,००,००,१००                 | २००          |
|                              |   | पूंजी                              | १२,००,००,२००                | ०            |
|                              |   |                                    |                             | २,००,००,३००  |
|                              |   |                                    |                             | १२,००,००,२०० |
| ००२.                         | विमानन  |                                    |                             |              |
|                              |   | राजस्व                             | ७५,००,००,४००                | ०            |
|                              |   | पूंजी                              | ५,४०,००,०००                 | ०            |
|                              |   |                                    |                             | ७५,००,००,४०० |
|                              |   |                                    |                             | ५,४०,००,०००  |
| ००३.                         | गृह   |                                    |                             |              |
|                              |   | राजस्व                             | २,२००                       | ०            |
|                              |   | पूंजी                              | २५,१७,१८,५८२                | ०            |
|                              |   |                                    |                             | २,२००        |
|                              |   |                                    |                             | २५,१७,१८,५८२ |
| ००६.                         | वित्त   |                                    |                             |              |
|                              |   | पूंजी                              | २००                         | ०            |
|                              |   |                                    |                             | २००          |
| ००८.                         | भू-राजस्व, जिला प्रशासन<br>तथा आपदा राहत पर व्यय. |                                    |                             |              |
|                              |   | राजस्व                             | ७७,२०,००,०००                | ०            |
|                              |   |                                    |                             | ७७,२०,००,००० |

| (१)  | (२)                                 | (३)            |                |                |
|------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                     | रुपये          | रुपये          | रुपये          |
| ०१०. | वन                                  |                |                |                |
|      | राजस्व                              | ४,४००          | ०              | ४,४००          |
|      | पूंजी                               | १,३००          | ०              | १,३००          |
| ०११. | औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन. |                |                |                |
|      | पूंजी                               | ६,५०,००,००,००० | ०              | ६,५०,००,००,००० |
| ०१२. | ऊर्जा                               |                |                |                |
|      | राजस्व                              | २०,२०,४००      | ०              | २०,२०,४००      |
| ०१३. | किसान कल्याण तथा कृषि विकास         |                |                |                |
|      | राजस्व                              | ५,००,००,००,६०० | ०              | ५,००,००,००,६०० |
| ०१६. | मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास        |                |                |                |
|      | राजस्व                              | ६६,४२,६४,०००   | ०              | ६६,४२,६४,०००   |
| ०२२. | नगरीय विकास एवं आवास                |                |                |                |
|      | राजस्व                              | २००            | ०              | २००            |
|      | पूंजी                               | ३,६५,००,००,१०० | ०              | ३,६५,००,००,१०० |
| ०२३. | जल संसाधन                           |                |                |                |
|      | पूंजी                               | ३,६३,२०,००,००० | २०,००,००,०००   | ३,८३,२०,००,००० |
| ०२४. | लोक निर्माण कार्य                   |                |                |                |
|      | पूंजी                               | ८००            | ३,००,००,००,००० | ३,००,००,००,८०० |
| ०२५. | खनिज साधन                           |                |                |                |
|      | पूंजी                               | १,००,००,००,००० | ०              | १,००,००,००,००० |
| ०२६. | संस्कृति                            |                |                |                |
|      | राजस्व                              | १५,००,००,०००   | ०              | १५,००,००,०००   |
| ०२७. | स्कूल शिक्षा                        |                |                |                |
|      | पूंजी                               | २,२६,८०,००,१०० | ०              | २,२६,८०,००,१०० |
| ०२६  | विधि और विधायी कार्य                |                |                |                |
|      | राजस्व                              | १७,००,००,०००   | १००            | १७,००,००,१००   |
|      | पूंजी                               | ०              | १,००,००,०००    | १,००,००,०००    |

| (१)  | (२)   | (३)             |                                 |        |                                 |
|------|---|-----------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|
|      |   | रुपये           | रुपये                           | रुपये  |                                 |
| ०३०. | ग्रामीण विकास                               | राजस्व<br>पूंजी | ४०,००,००,००,०००<br>६००          | ०<br>० | ४०,००,००,००,०००<br>६००          |
| ०३१. | योजना, आर्थिक और सांख्यिकी                  | राजस्व<br>पूंजी | ५००<br>२००                      | ०<br>० | ५००<br>२००                      |
| ०३३. | जनजातीय कार्य                               | राजस्व          | ५४,००,०१,३००                    | ०      | ५४,००,०१,३००                    |
| ०३५. | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम                 | राजस्व<br>पूंजी | १६,३६,००,३००<br>६१,००,००,०००    | ०<br>० | १६,३६,००,३००<br>६१,००,००,०००    |
| ०३६. | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण. | राजस्व<br>पूंजी | ४६,१३,२८,८०३<br>२०,०१,७०,००,००० | ०<br>० | ४६,१३,२८,८०३<br>२०,०१,७०,००,००० |
| ०४०. | पंचायत                                      | राजस्व          | १६,३२,५०,००,०००                 | ०      | १६,३२,५०,००,०००                 |
| ०४२. | भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास.        | राजस्व          | ५००                             | ०      | ५००                             |
| ०४७. | तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.       | राजस्व<br>पूंजी | ३,६००<br>१,३००                  | ०<br>० | ३,६००<br>१,३००                  |
| ०४८. | नर्मदा घाटी विकास                           | पूंजी           | ८,६४,०६,६६,३००                  | ०      | ८,६४,०६,६६,३००                  |
| ०४६. | अनुसूचित जाति कल्याण                        | राजस्व          | १,००,००,००,०००                  | ०      | १,००,००,००,०००                  |
| ०५०. | उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण              | राजस्व          | ५०,००,००,०००                    | ०      | ५०,००,००,०००                    |

| (१)                      | (२)         | (३)               |                |                   |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                          |             | रुपये             | रुपये          | रुपये             |
| ०५३. अल्प संख्यक कल्याण  | राजस्व      | २००               | ०              | २००               |
| ०५५. महिला एवं बाल विकास | राजस्व      | १७,६३,७५,००,६००   | ०              | १७,६३,७५,००,६००   |
| योग                      | राजस्व :    | ८४,४८,५७,५८,१०३   | २,३००          | ८४,४८,५७,६०,४०३   |
|                          | पूंजी :     | ४७,०७,३७,२२,६८२   | ३,२१,००,००,२०० | ५०,२८,३७,२३,१८२   |
|                          | वृहद् योग : | १,३१,५५,६४,८१,०८५ | ३,२१,००,०२,५०० | १,३४,७६,६४,८३,५८५ |

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्र. 12295-216-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 27 OF 2025

**THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 4) ACT, 2025**

[ Received the assent of the Governor on the 17<sup>th</sup> December, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18<sup>th</sup> December, 2025. ]

**An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2025-2026.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-Sixth year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2025.

Issue of Rs.  
1,34,76,94,83,585  
from and out of  
the Consolidated  
Fund of the State  
for the Financial  
Year 2025-2026.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sums of Rs. Thirteen thousand four hundred seventy six crore ninety four lakh eighty three thousand five hundred eighty five towards defraying the several charges which shall come in the course of payment during the Financial Year 2025-2026 in the respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation of the said year.

THE SCHEDULE  
(See Sections 2 and 3)

| (1)<br>No.<br>of Vote | (2)<br>Services and purposes  | (3)<br>Sums not exceeding               |  |              |
|-----------------------|---|---|--|--------------|
|                       |   | Voted by the<br>Legislative<br>Assembly | Charged on the<br>Consolidated<br>Fund | Total        |
|                       |   | Rs.                                     | Rs.                                    | Rs.          |
|                       | Charged Appropriation-<br>Interest Payments and<br>Servicing of Debt. |   |  |              |
|                       | Revenue   | 0                                       | 2,000                                  | 2,000        |
|                       | Charged Appropriation-<br>Public Debt.                                |   |  |              |
|                       | Capital   | 0                                       | 200                                    | 200          |
| 001.                  | General Administration  |   |  |              |
|                       | Revenue   | 2,00,00,100                             | 200                                    | 2,00,00,300  |
|                       | Capital   | 12,00,00,200                            | 0                                      | 12,00,00,200 |
| 002.                  | Aviation  |   |  |              |
|                       | Revenue   | 75,00,00,400                            | 0                                      | 75,00,00,400 |
|                       | Capital   | 5,40,00,000                             | 0                                      | 5,40,00,000  |

| (1)  | (2)   | (3)            |                |                |
|------|---|----------------|----------------|----------------|
|      |   | Rs.            | Rs.            | Rs.            |
| 003. | Home  |                |                |                |
|      | Revenue   | 2,200          | 0              | 2,200          |
|      | Capital   | 25,17,18,582   | 0              | 25,17,18,582   |
| 006. | Finance   |                |                |                |
|      | Capital   | 200            | 0              | 200            |
| 008. | Expenditure On Land Revenue, District Administration and Disaster Relief. |                |                |                |
|      | Revenue   | 77,20,00,000   | 0              | 77,20,00,000   |
| 010. | Forest  |                |                |                |
|      | Revenue   | 4,400          | 0              | 4,400          |
|      | Capital   | 1,300          | 0              | 1,300          |
| 011. | Industrial Policy And Investment Promotion.                               |                |                |                |
|      | Capital   | 6,50,00,00,000 | 0              | 6,50,00,00,000 |
| 012. | Energy  |                |                |                |
|      | Revenue   | 20,20,400      | 0              | 20,20,400      |
| 013. | Farmers Welfare And Agricultural Development.                             |                |                |                |
|      | Revenue   | 5,00,00,00,600 | 0              | 5,00,00,00,600 |
| 016. | Fisherman Welfare and Fisheries Development.                              |                |                |                |
|      | Revenue   | 66,42,94,000   | 0              | 66,42,94,000   |
| 022. | Urban Development And Housing.  |                |                |                |
|      | Revenue   | 200            | 0              | 200            |
|      | Capital   | 3,65,00,00,100 | 0              | 3,65,00,00,100 |
| 023. | Water Resources   |                |                |                |
|      | Capital   | 3,63,20,00,000 | 20,00,00,000   | 3,83,20,00,000 |
| 024. | Public Works  |                |                |                |
|      | Capital   | 800            | 3,00,00,00,000 | 3,00,00,00,800 |
| 025. | Mineral Resources   |                |                |                |
|      | Capital   | 1,00,00,00,000 | 0              | 1,00,00,00,000 |
| 026. | Culture   |                |                |                |
|      | Revenue   | 15,00,00,000   | 0              | 15,00,00,000   |
| 027. | School Education  |                |                |                |
|      | Capital   | 2,29,80,00,100 | 0              | 2,29,80,00,100 |

| (1)  | (2)  | (3)             |             |                 |
|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
|      |  | Rs.             | Rs.         | Rs.             |
| 029  | Law and Legislative Affairs                            |                 |             |                 |
|      | Revenue  | 17,00,00,000    | 100         | 17,00,00,100    |
|      | Capital  | 0               | 1,00,00,000 | 1,00,00,000     |
| 030. | Rural Development                                      |                 |             |                 |
|      | Revenue  | 40,00,00,00,000 | 0           | 40,00,00,00,000 |
|      | Capital  | 900             | 0           | 900             |
| 031. | Planning, Economics and Statistics.                    |                 |             |                 |
|      | Revenue  | 500             | 0           | 500             |
|      | Capital  | 200             | 0           | 200             |
| 033. | Tribal Affairs   |                 |             |                 |
|      | Revenue  | 54,00,01,300    | 0           | 54,00,01,300    |
| 035. | Micro, Small and Medium Enterprises.                   |                 |             |                 |
|      | Revenue  | 16,36,00,300    | 0           | 16,36,00,300    |
|      | Capital  | 61,00,00,000    | 0           | 61,00,00,000    |
| 039. | Food, Civil Supplies And Consumer Protection.          |                 |             |                 |
|      | Revenue  | 49,13,28,803    | 0           | 49,13,28,803    |
|      | Capital  | 20,01,70,00,000 | 0           | 20,01,70,00,000 |
| 040. | Panchayat  |                 |             |                 |
|      | Revenue  | 16,32,50,00,000 | 0           | 16,32,50,00,000 |
| 042. | Bhopal Gas Tragedy Relief And Rehabilitation.          |                 |             |                 |
|      | Revenue  | 500             | 0           | 500             |
| 047. | Technical Education, Skill Development And Employment. |                 |             |                 |
|      | Revenue  | 3,600           | 0           | 3,600           |
|      | Capital  | 1,300           | 0           | 1,300           |
| 048. | Narmada Valley Development.                            |                 |             |                 |
|      | Capital  | 8,94,09,99,300  | 0           | 8,94,09,99,300  |
| 049. | Scheduled Caste Welfare                                |                 |             |                 |
|      | Revenue  | 1,00,00,00,000  | 0           | 1,00,00,00,000  |

| (1)                                    | (2)            | (3)                      |                       |                          |
|--|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|  |                | Rs.                      | Rs.                   | Rs.                      |
| 050. Horticulture And Food Processing. | Revenue        | 50,00,00,000             | 0                     | 50,00,00,000             |
| 053. Minority Welfare                  | Revenue        | 200                      | 0                     | 200                      |
| 055. Women And Child Development.      | Revenue        | 17,93,75,00,600          | 0                     | 17,93,75,00,600          |
| <b>Total</b>                           | <b>Revenue</b> | <b>84,48,57,58,103</b>   | <b>2,300</b>          | <b>84,48,57,60,403</b>   |
|  | <b>Capital</b> | <b>47,07,37,22,982</b>   | <b>3,21,00,00,200</b> | <b>50,28,37,23,182</b>   |
| <b>Grand Total</b>                     |                | <b>1,31,55,94,81,085</b> | <b>3,21,00,02,500</b> | <b>1,34,76,94,83,585</b> |